

# कम्युनिटी अलर्ट: एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अरेस्ट जानकारी

## नेशनल इमिग्रेशन कानून सेंटर से

यह संसाधन यू.एस. एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले इमिग्रेंट्स के लिए यात्रा सुरक्षा सुझाव और दूसरे संसाधन देता है।

हम सभी को अपने प्रियजनों से मिलने और नई जगहों को खोजने के लिए यात्रा करने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन अभी, डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक््योरिटी (डीएचएस) नए और नुकसानदायक तरीकों से इमिग्रेंट्स के पीछे पड़ा है। यू.एस. एयरपोर्ट से यात्रा करना जोखिम भरा हो सकता है, भले ही आपका एक्टिव या पेंडिंग लीगल इमिग्रेशन स्टेटस हो और/या आपने पहले बिना किसी दिक्कत के यात्रा की हो। इस लिए अपने अधिकारों को जानना और यात्रा करते समय जोखिम के लिए तैयारी करना पहले से कहीं अधिक आवश्यक है।

यह संसाधन यात्रा सुरक्षा सुझाव व जोखिम को समझने और खुद को और अपने परिवार को तैयार करने के तरीके के बारे में दूसरे संसाधन देता है।

डिस्क्लेमर: यह संसाधन आम जानकारी देता है। यह आपकी स्थिति के लिए खास कानूनी सलाह नहीं है। हम सलाह देते हैं कि कम्युनिटी के सदस्य सावधानी बरतें और अपने अलग-अलग मामलों के बारे में इमिग्रेशन लॉयर से बात करें।

### क्या हो रहा है

ट्रांसपोर्टेशन सिक््योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन (टीएसए), जो एयरपोर्ट सुरक्षा संभालने वाली सरकारी एजेंसी है, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (आईसीई) को पैसेंजर की जानकारी दे रही है। इसका मतलब है कि जिन लोगों के पास लीगल इमिग्रेशन स्टेटस नहीं है या जिनका स्टेटस पक्का नहीं है, उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स में एयरपोर्ट सुरक्षा से निकलते समय अरेस्ट या डिपोर्ट किया जा सकता है।

- **यह कैसे होता है?** हर हफ्ते कुछ बार, टीएसए, आईसीई को सूची भेजता है उन लोगों की जो यू.एस. एयरपोर्ट से गुजरते हैं। इन सूचियों में नाम, फ़ोटो और दूसरी जानकारी होती है। आईसीई इन सूचियों को अपने रिकॉर्ड से चेक करता है। अगर आईसीई को कोई ऐसा मिलता है जिसे वे निशाना बनाना चाहते हैं, तो वे उस व्यक्ति को एयरपोर्ट पर अरेस्ट करने के लिए ऑफ़िसर भेज सकते हैं।
- **क्या मेरी प्राइवेट जानकारी सुरक्षित नहीं है?** आम तौर पर, सरकारी एजेंसियों के पास प्राइवेट जानकारी शेयर करने के नियम होते हैं। लेकिन टीएसए और आईसीई दोनों एक ही डिपार्टमेंट – डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक््योरिटी – का हिस्सा हैं, इस लिए वे नियम यहाँ लागू नहीं होते।
- **क्या आईसीई पहले से ही एयरपोर्ट पर लोगों को अरेस्ट कर रहा है?** हाँ। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 12 दिसंबर, 2025 को रिपोर्ट किया था कि TSA यह जानकारी ICE के साथ शेयर कर रहा है। उससे पहले, एयरपोर्ट पर आईसीई की अरेस्ट की रिपोर्टें पहले से ही थीं। उदाहरण के लिए, 25 नवंबर को, आईसीई ने गिनियन दादी और क्वींस की होम हेल्थ एड, आइसातोउ डियालो को लागार्डिया एयरपोर्ट पर तब हिरासत में लिया, जब वह अपने बेटे से मिलने जा रही थीं।

## यू.एस. एयरपोर्ट पर आईसीई द्वारा किसे अरेस्ट होने का जोखिम है?

अगर आपके पास बिना डॉक्यूमेंट्स हैं या आपका टेम्पररी इमिग्रेशन स्टेटस है, तो यू.एस. एयरपोर्ट पर अरेस्ट होने का काफी जोखिम है। जिन लोगों को डिपोर्टेशन ऑर्डर मिले हैं, उन्हें विशेष तौर पर अधिक जोखिम होता है। सभी गैर-नागरिकों को कुछ जोखिम होता है, विशेषकर उन लोगों को जिनका स्टेटस पक्का नहीं है या जिनमें जोखिम फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम यहाँ बताएँगे। आपके जोखिम को समझने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ और जानकारी दी गई है:

- **पुराने डिपोर्टेशन ऑर्डर:** अगर आपके रिकॉर्ड में कोई पुराना डिपोर्टेशन ऑर्डर है, तो आपको अरेस्ट होने का अधिक जोखिम है। यह तब भी सच है जब आपको पता नहीं था कि आपके पास कोई पुराना डिपोर्टेशन ऑर्डर है या अगर वह ऑर्डर तब का है जब आप बच्चे थे। यह तब भी सच है जब आपका डिपोर्टेशन ऑर्डर किसी तेज़ डिपोर्टेशन प्रोसेस से है। 15,000 से अधिक साउथईस्ट एशियन लोगों के पास रिमूवल के फाइनल ऑर्डर हैं, जो अक्सर दशकों पुराने हैं, और उन्हें डिपोर्टेशन का जोखिम है。
  - **आप कैसे चेक करते हैं कि आपके पास डिपोर्टेशन ऑर्डर है?** अगर सरकार ने आपको कभी “एलियन रजिस्ट्रेशन” नंबर (ए-नंबर) वाला पेपर दिया है, तो आप एग्जीक्यूटिव ऑफिस फॉर इमिग्रेशन रिव्यू (ईआईओआर) की [वेबसाइट](#) का इस्तेमाल करके या इस [हॉटलाइन](#) पर कॉल करके ऑनलाइन चेक कर सकते हैं: 1-800-898-7180.
- **लीगल स्टेटस जिसे सरकार ने रद्द कर दिया है (या शीघ्र ही रद्द कर देगी):** अगर आपके पास टेम्पररी लीगल स्टेटस था, लेकिन सरकार ने उस स्टेटस को खत्म कर दिया है, जिसमें टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस (टीपीएस) भी शामिल है, तो आपके अरेस्ट होने का खतरा अधिक है। इसमें वे लोग शामिल हैं जो पैरोल पर यूनाइटेड स्टेट्स आए थे, लेकिन उनका पैरोल स्टेटस खत्म हो गया है या सरकार ने पैरोल प्रोग्राम खत्म कर दिया है। उदाहरण के लिए, सरकार ने हाल ही में [नेपाल](#) के लिए टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस खत्म कर दिया है, और [बर्मा](#) के लिए [TPS 30 मार्च, 2026 को खत्म हो गया](#)।
- **पेंडिंग एप्लीकेशन:** आईसीई उन लोगों को अरेस्ट और डिटैन कर रहा है, जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स में इमिग्रेशन स्टेटस के लिए एप्लीकेशन जमा किया है। इसका मतलब है कि अगर आपने असाइलम, ग्रीन कार्ड (कानूनी परमानेंट रेजिडेंस), या दूसरे तरह के परमानेंट प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई किया है, तब भी आपको एयरपोर्ट पर अरेस्ट होने का खतरा हो सकता है। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हुए अपना स्टेटस बदलने या बढ़ाने के लिए अप्लाई करना भी शामिल है।
- **कोई क्रिमिनल हिस्ट्री:** अगर आप यू.एस. सिटिज़न नहीं हैं और आप पर कोई क्रिमिनल अरेस्ट हुआ है (भले ही केस ड्रॉप हो गया हो), तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपको अरेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं।
  - इमिग्रेशन कानून कुछ चीज़ों को “कनविकशन” मानता है, भले ही आपको बताया गया हो कि आपका केस बंद हो गया है या आपकी गलती वापिस ले ली गई है। पक्का करने के लिए, डिपोर्टेशन केस में एक्सपीरियंस वाले इमिग्रेशन अटॉर्नी से अपनी फ़ाइल रिव्यू करवाना सबसे अच्छा है।
- **ग्रीन कार्ड होल्डर्स:** इमिग्रेशन ऑफिसर ग्रीन कार्ड होल्डर्स को तब भी अरेस्ट कर सकते हैं, अगर उनके विरुद्ध कुछ क्रिमिनल केस (यहाँ तक कि छोटे भी) या दूसरे जोखिम फैक्टर्स हों। अपने खतरे का अंदाज़ा लगाने के लिए कृपया इस [विषय पर एनआईएलसी का संसाधन](#) देखें।
- **डीएसीए होल्डर्स और डेफर्ड एक्शन वाले दूसरे लोग:** आईसीई ने डेफर्ड एक्शन फॉर सर्टेन चाइल्डहुड अराइवल्स (डीएसीए) स्टेटस वाले कई लोगों को हिरासत में लिया है। एयरपोर्ट से यात्रा करना जोखिम भरा हो सकता है, भले ही आपके पास डीएसीए या डेफर्ड एक्शन का कोई दूसरा तरीका हो। डीएसीए के बारे में ताज़ी जानकारी के लिए, कृपया यह [होम इज़ हियर रिसोर्स](#) देखें।

## यात्रा सुरक्षा सुझाव

- **एयरपोर्ट पर अपने अधिकारों को जानें।**
  - टीएसए, कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन या दूसरे इमिग्रेशन लॉ ऑफिसर्स की एक्स्ट्रा स्क्रीनिंग या सवालों के लिए तैयार रहें।
  - एसीएलयू के पास एक संसाधन है जो बताता है कि क्या हो सकता है और अगर सवाल किए जाते हैं तो आपके अधिकारों के बारे में बताता है।
- **आवश्यक दस्तावेजों की फिजिकल कॉपी साथ लाएँ, जिनमें शामिल हैं:**
  - कानूनी स्टेटस का प्रूफ या कोई पेंडिंग एप्लीकेशन
  - अगर आपका केस बंद हो गया है, तो क्रिमिनल कोर्ट के ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी।
- **अपने डिवाइस (फोन, लैपटॉप, वगैरह) सुरक्षित रखें।**
  - अगर आप सेल फोन या कोई दूसरा डिवाइस लेकर यात्रा कर रहे हैं, तो ऐसे कदम उठाएँ जिससे पुलिस के उस डिवाइस की तलाशी लेने का चांस कम हो जाए। उदाहरण के लिए, हम सलाह देते हैं कि आप अपना टिकट प्रिंट कर लें ताकि प्लेन में चढ़ते समय आपको अपना फोन खोलने की आवश्यकता न पड़े। आपको अपने ईमेल अकाउंट से भी साइन आउट कर लेना चाहिए।
  - आप फ्रीडम ऑफ द प्रेस फाउंडेशन से और डिटेल्ड टिप्स पा सकते हैं।
- **एक सुरक्षा योजना बनाएँ – यदि आवश्यकता पड़ी तो।**
  - एक वकील और कम से कम एक अपने का फ़ोन नंबर याद रखें जो आवश्यकता पड़ने पर ऑन-कॉल हो सके।
  - अगर आपको अरेस्ट किया जाता है और हिरासत में लिया जाता है, तो आईसीई आपके केस की जानकारी किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, जब तक कि आपने इस खास प्राइवैसी वेवर फ़ॉर्म पर साइन नहीं किया हो। इनमें से एक या अधिक फ़ॉर्म पर साइन करने और उन्हें किसी अपने के पास छोड़ने के बारे में सोचें, ताकि अगर आपको हिरासत में लिया जाता है तो वे काम आ सकें।
- **माता-पिता के लिए खास ध्यान:**
  - आईसीई की एक पॉलिसी है जो कहती है कि हिरासत में लिए गए माता-पिता को यह तय करने का अधिकार है कि उनके बच्चों के साथ क्या होगा। हालांकि, आईसीई हमेशा अपनी पॉलिसी को फॉलो नहीं करता है।
  - अपने बच्चों को सुरक्षित करने का एक तरीका है टेम्पररी गार्डियनशिप सेट अप करना ताकि अगर आपको हिरासत में लिया जाता है तो कोई भरोसेमंद वयस्क या दोस्त उनकी देखभाल कर सके। चिल्ड्रन थ्राइव एक्शन नेटवर्क के इस संसाधन में काम की जानकारी है: “स्टेडिंग होल: ए लव लेटर टू इमिग्रेंट पेरेंट्स।”
- और संसाधनों के लिए, कृपया एनआईएलसी की संसाधन लॉइब्रेरी पर जाएँ।